Indian J. Soc. & Pol. 08 (02) : 109-112 : 2021 **ISSN: 2348-0084 (PRINT)**
31 JULY 2021 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता

शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय[1]
[1]असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, सर्वोदय पी0जी0 कालेज घोसी, मऊ, उ0प्र0, भारत

ABSTRACT

सेक्युलरज्मि विकासशील देशों में कदाचित भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जिसने सरकार की नीति और कार्यक्रमों का निर्देशक सिद्धांत माना है। भारतीय सेक्यूलरिज्म कोई बौद्धिक अवधारणा मात्र नहीं है, और न ही इसकी उत्पत्ति सैद्धान्तिक और वैचारिक ऊहापोह में से हुई है। इसने स्वतंत्रता संग्राम के उन नेताओं और असंख्य अज्ञात भारतवासियों के बलिदान से नैतिक शक्ति और बल प्राप्त किया जो गम्भीर संकट की घड़ी में भी सेक्यूलर राष्ट्रवाद की राह में डिगे नहीं। इस प्रकार के त्याग और संघर्ष के इतिहास ने ही भारत में धर्मनिरपेक्ष परम्पराओं के स्वरूप को गढ़ा है।

KEYWORDS: *भारत, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, हिन्दू*

इसमें कोई संदेह नहीं कि सेक्यूलरिज्म का आधुनिक सिद्धान्त पश्चिमी विचारकों और सुधारकों के चिन्तन का फल है। भारत इस दृष्टि से पश्चिम का ऋणी है, क्योंकि उसने सेक्यूलरिज्म का आधुनिक सिद्धान्त पश्चिम से ही प्राप्त किया परन्तु भारत ने धर्मनिरपेक्षता का विचार ब्रिटिश उपनिवेशवाद से नहीं लिया। उपनिवेशवादी सरकार का सेक्यूलरिज्म से कोई वास्ता नहीं था। वह तो 'फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने की कला में सिद्धहस्त थी। इसके अलावा उसने भारतीय शिक्षा और संस्कृति को भी सेक्यूलरिज्म की राह पर चलने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। भारत के प्रगति–विरोधी वर्गों का साथ देकर उपनिवेशवादी शासन ने भारतीय समाज का आधुनिक सेक्यूलर स्वरूप विकसित करने में सदा बाधा पैदा की। औपनिवेशी शासकों ने उन ऐतिहासिक परम्पराओं और सामाजिक प्रक्रियाओं से कभी भी अपना सम्बन्ध नहीं जोड़ा जिसमें आधुनिक सेक्यूलरिज्म को एक सैद्धान्तिक आधार मिल सकता था। उल्टे धर्म की या मानव को मानव से जोड़ने वाली मान्यताओं और मूल्यों को नहीं, बल्कि विभिन्न धर्मावलम्बियों में वैमनस्य पैदा करने वाले तत्वों को उपनिवेशवाद ने अपना आधार बनाया। इस संदर्भ में उपनिवेशवाद की ऐतिहासिक भूमिका सेक्यूलरिज्म–वर्द्धक और पोषक नहीं सेक्यूलरिज्म विरोधी थी। सेक्यूलर जीवन शैली इसी तार्किकता केन्द्रित नैतिक जीवन पद्धति का नाम है। यही समाजशास्त्री मैक्सबेवर के इतिहास का केन्द्र बिन्दु है।(वेवर, 1948, पृ0154–155) इस प्रकार भारत में सेक्यूलरिज्म की धारणा का सूत्रपात करने का श्रेय पश्चिमी ज्ञानोदय में पले उन विचारशील और प्रबुद्ध भारतीयों को जाता है जिन्होंने पश्चिम की आधुनिक विचारधारा विशेषकर इंग्लिस्तान की औद्योगिक क्रान्ति, 1776 U.S.A. क्रान्ति, 1789 फ्रांस की राजनीतिक क्रान्ति से प्रेरणा प्राप्त की।(उत्तर प्रदेश :साहित्य एवम् संस्कृति, अक्टूबर1998, पृ08) धर्मनिरपेक्षता का विचार भारत में उपनिवेशवाद के विरूद्ध संघर्ष और देश में जातियों, धर्म तथा भाषाओं की विविधता को देखते हुए एक राष्ट्र की पहचान विकसित करने के प्रयासों का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उभरा। बाद में महात्मा गाँधी ने भारत की धर्म बहुल, भाषा बहुल और क्षेत्र–बहुल सामाजिक संरचना को ध्यान में रखकर सेक्यूलरिज्म को भारत के राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के लिए मूल्यों और मान्यताओं के अनिवार्य आधार के रूप में स्वीकार किया उन्हीं के शब्दों में–'मेरी अपने धर्म पर गहरी आस्था है और मैं उनके लिए प्राण भी दे सकता हूं। लेकिन धर्म मेरा व्यक्तिगत मामला है। राज्य का मेरे धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं। राज्य सभी के ऐहिक कल्याण के लिए है जैसे स्वास्थ्य, संचार, विदेशी सम्बन्ध, मुद्रा आदि–आदि के लिए लेकिन धार्मिक मामलों के लिए नहीं। 'धर्म प्रत्येक का निजी मामला है। यह बुद्धि ग्राह्य नहीं, ह्रदय ग्राह्य है।

स्वतंत्र भारत हिन्दू राज कदापि नहीं बनेगा। यह भारतीय राज होगा जो किसी धर्म या विशेष समुदाय के बहुमत पर नहीं बल्कि धर्म–विभेद से परे समस्त जन–साधारण के प्रतिनिधित्व पर आधारित होगा। मैं इसकी भी सम्भावना देखता हूँ कि एक मिश्रित बहुमत हिन्दुओं को अल्पमत बना सकता है। धर्म एक जातीय मामला है, जिसकी राजनीति में कोई जगह नहीं।'

'हमें राज्य की सहायता से प्रोत्साहित धर्म से या राज्य और चर्च (यानी धार्मिक संस्थाओं) के गठजोड़ से बड़ी हानि पहुंची है। एक संस्था या दल जो अपने धर्म के अस्तित्व के लिए आंशिक या सम्पूर्ण रूप से राज्य की सहायता पर निर्भर है। साम्प्रदायिक दल धर्म को राजनीति में प्रधानता देते हैं। यह एक संक्रामक रोग है। जो अपने धर्म को गिराता है। जिसके पास असली रूप में धर्म नाम की कोई चीज नहीं है।(दिनमान, 16–22 दिसम्बर 1979) यह इमाम व शंकराचार्य के नाम वोट पाना चाहेंगे। तो क्या देश को इमाम और शंकराचार्य के बीच चुनाव कराना पड़ेगा। जो लोकतंत्री धर्मनिरपेक्ष (सेक्यूलर) स्वरूप कलंकित करता है।

जवाहर लाल नेहरू ने भारत के लिए सेक्यूलरिज्म की अनिवार्यता को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया 'भारत–जैसे देश में जहां अनेक धर्म और सम्प्रदाय है, धर्मनिरपेक्षता पर आधारित राष्ट्रवाद के सिवाय और किसी वास्तविक राष्ट्रवाद की रचना नहीं की जा सकती। कोई भी संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाये जाने पर समाज का कोई न कोई वर्ग अलग पड़ सकता है, और ऐसी स्थिति में स्वयं राष्ट्रवाद का अर्थ उतना व्यापक नहीं रहेगा जितना कि होना चाहिए। भारत की राष्ट्रीयता न हिन्दू राष्ट्रीयता है और

1: Corresponding Author

न मुस्लिम, वरन् विशुद्ध भारतीय है जो धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है।

'हमें संविधान में घोषित विचारों को केवल अपनाना ही नहीं बल्कि उन्हें अपने चिन्तन और जीवन का अंग बनाकर वास्तविक अखण्ड भारत का निर्माण करना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि धर्म का अस्तित्व और इसकी भूमिका शेष हो जाएगी। इसका मतलब है कि सामान्य राजनीतिक और सामाजिक जीवन का संचालन धर्म द्वारा नहीं होगा। भारत में किसी अन्य दृष्टिकोण को अपनाने का यानि धर्म और राजनीति को जोड़ने का मतलब होगा देश को छिन्न–भिन्न करना। अतः सभी धर्मों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाय, राज्य किसी धर्म के मामले में हस्तक्षेप न करे।(पायली, 1997)

सेक्यूलरिज्म का सिद्धान्त भारतीय राष्ट्रवाद की मूल धारणा (Concept) विकसित करने का प्रयास का अभिन्न अंग है। यह स्वतंत्रता संग्राम की उपज है और अन्ततः इसे प्रभुसत्ता–सम्पन्न भारतीय गणराज्य के संविधान में स्थान मिला।[11] इसके बाद धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करना भारत सरकार के लिए संवैधानिक दायित्व हो गया। अच्छा होगा कि यदि यथार्थ और धर्मनिरपेक्षता का निर्णय हम स्वयं न करके उसे उच्चतम् न्यायालय पर छोड़ दें। जैसा कि वुडरो विल्सन ने कहा था– उच्चतम् न्यायालय ऐसी संविधान निर्मात्री परिषद है, जो निरन्तर सत्र में रहती है।(शर्मा,2008 पृ0509) इससे स्पष्ट है कि भारत में पश्चिम की भाँति धर्म और राज्य में सीधे टकराव से धर्म निरपेक्षता का विचार विकसित नहीं हुआ। यह सेक्यूलरिज्म का सिद्धान्त राज्य द्वारा धर्म से ऊपर उठने की चेष्टा और धार्मिक परम्पराओं के भीतर ही धर्मनिरपेक्षता के विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप उभरा और राष्ट्रीय इंटीग्रेशन या एकीकरण के हित में यह एक रचनात्मक शक्ति में परिणित हो गया। दूसरे शब्दों में भारत ने सेक्यूलर राज्य की अनिवार्य शर्त के रूप में सामाजिक परिवर्तन और न्याय की धारणा को प्रतिपादित किया।

भारतीय सेक्यूलरिज्म ने धर्मनिरपेक्षता के साथ–साथ सामाजिक तथा राजनीतिक समानता के विचार को भी आत्मसात कर लिया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था– 'हम अपने देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं! सेक्यूलर शब्द कोई बहुत सुखद शब्द नहीं परन्तु और बेहतर शब्द न मिलने के कारण हमने इस शब्द का प्रयोग किया है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा राज्य जिसमें धर्म का महत्व कम किया जाता है। इसका अर्थ धर्म और आत्मा की स्वतंत्रता। इसमें उन लोगों के लिए भी आजादी शामिल है, जिनकी धर्म में कोई आस्था न होते हुए भी वे दूसरे की धर्मपरायणता में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मेरी समझ में सेक्यूलर शब्द का और भी व्यापक अर्थ है, हालांकि शब्दकोश में यह अर्थ नहीं मिलेगा। सेक्यूलरिज्म में सामाजिक और राजनीतिक समानता का अर्थ निहित है। जात–पांत की कुरीति में जकड़ा समाज पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। मैं किसी व्यक्ति के विश्वास में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता परन्तु जब ये विश्वास जातिगत भेदों का रूप ले लेते हैं तो निश्चित रूप से देश का सामाजिक ढांचा उससे प्रभावित होता है। धार्मिक विश्वास के ऐसे विकृत रूप समानता का लक्ष्य प्राप्त करने में बाधक बनते हैं।'

स्पष्ट है कि यदि धर्मनिरपेक्षता के बल पर राष्ट्रीय एकता प्राप्त करनी है तो इसे महज ऐसे जड़ सिद्धान्त के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहिए, जिसमें केवल धार्मिक सहिष्णुता के परिपालन पर बल दिया जाता है। इसे एक गतिशील और सृजनात्मक विचार बनाना होगा। जिसमें असमानता मिटाने की दिशा में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की धारणा भी सम्मिलित हो। इस प्रकार नेहरू जी ने सामाजिक परिवर्तन तथा विकास के माध्यम से सेक्यूलरिज्म को बढ़ावा देने की नीति विकसित की। दूसरे शब्दों में, उन्होंने सेक्यूलर राज्य की अनिवार्य शर्त के रूप में सामाजिक परिवर्तन और न्याय की धारणा को प्रतिपादित किया।

स्वतंत्रता से पहले सेक्यूलरिज्म की लड़ाई राजनीतिक स्तर पर लड़ी जा रही थी, जिसमें समाज के सभी धर्मों को स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता था। यह लड़ाई सांस्कृतिक स्तर पर भी चल रही थी। इसके अन्तर्गत प्रत्येक धर्म की नयी परिस्थितियों के अनुरूप पुनः व्याख्या करने की व्यवस्था थी, ताकि प्रत्येक धार्मिक समुदाय की संस्कृति की रचनात्मक और गतिशील प्रक्रियाओं को प्रमुखता मिले और विभिन्न संस्कृतियाँ धार्मिक भेद के बावजूद एक दूसरे के निकट आयें परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के समय में इस लड़ाई का स्वरूप बदल गया। इसे आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर चलाना अनिवार्य हो गया। सभी समुदायों खासकर उपेक्षित वर्गों को, विकास कार्यों में शामिल करना सेक्यूलरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयास की अनिवार्य शर्त बन गयी।

देश के समझदार और संवेदनशील लोग सेक्यूलर राज्य के लिए हाल में तेजी से बढ़े खतरों से अत्यन्त चिन्तित और क्षुब्ध हैं। प्रश्न उठता है कि सेक्यूलर और एकीकृत भारत की जो महत् कल्पना संविधान में की गयी है, एक ओर उसमें और दूसरी ओर सेक्यूलरिज्म और एकता के उत्तरोत्तर ह्रास की चिन्ताजनक वस्तुस्थिति के बीच यह खाई क्यों है? यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है कि सामान्य लोग सेक्यूलरिज्म और एकता–विरोधी विचार–धाराओं से भ्रमित हो रहे हैं। इससे भी अधिक चिन्तनीय बात है कि भारत का सम्भ्रान्त वर्ग भी सेक्यूलरिज्म की चुनौती के व्यापक आयामों के प्रति सचेत नहीं है। उसने इस सेक्यूलर अवधारणा को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के नीति–निर्देशों में बदलने के लिए देश में उपलब्ध सभी साधनों को नहीं जुटाया है। बुद्धिजीवियों के सेक्यूलर तत्वों और सामान्य लोगों में परम्परा सम्पर्क और संवाद का अभाव है, जिसका परिणाम यह होता है कि आम लोग सेक्यूलरिज्म विरोधी ताकतों की विचारधारा से प्रभावित होते जा रहे हैं तथा राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष तत्वों द्वारा इस चुनौती की सामना करने के लिए न वैचारिक स्तर पर, न राजनीतिक स्तर पर, कोई महत् चेष्टा हो रही है।

हम सबको देखते हुए अब यह आवश्यक हो गया है कि ऐतिहासिक अनुभवों, वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों और भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्यों के सन्दर्भ में सेक्यूलरिज्म के सिद्धान्त की समीक्षा की जाये। सेक्यूलरिज्म विरोधी तत्वों को रोकने की योजना और कार्यक्रम सभी तरह के विचारों और मतों के लोगों के बीच राष्ट्रव्यापी विचार–विमर्श और संवाद द्वारा ही बनाये जा सकते हैं।

इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखा जाये कि इस राष्ट्रीय बहस में उन लोगों को भी अवश्य शामिल किया जाये जो धार्मिक दृष्टिकोण और निष्ठा के है तथा धर्म से ही प्रेरणा लेते हैं। वास्तव में बहस या विचार–विमर्श को राष्ट्रव्यापी प्रसार और अपेक्षित प्रतिनिधि स्वरूप तभी मिलेगा जब देश के सभी धर्मों के अग्रवर्ती तत्व इसमें भाग लें। यहां यह भी ज्ञातव्य है कि भारत में सेक्यूलर प्रक्रिया का विकास धर्म के विशेषकर धर्म के पोंगापन्थी और पुरातनवादी तत्वों पर सेक्यूलर तत्वों द्वारा सीधे या प्रत्यक्ष प्रहार द्वारा नहीं हुआ। धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू धर्म के भीतर ही प्रगतिशील और प्रगति–विरोधी तत्वों के बीच संघर्ष रहा है। इस प्रकार की धर्म के भीतर धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया प्रारम्भ में ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म के बीच तथा बाद में धार्मिक और सामाजिक कट्टरता की शक्तियों और भक्ति आन्दोलन से प्रेरित सामाजिक मुक्ति की शक्तियों के बीच संघर्ष में देखी जा सकती है। आधुनिक युग में विवेकानन्द और महात्मा गांधी जैसे महापुरूषों के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्षता के आन्दोलनों के उदय में यही बात, यानी धर्म के मानवतावादी मूल्यों की 'पहचान और धार्मिक अन्धता और कट्टरता के त्याग के रूप में दिखायी देती है।

हमें इस तथ्य पर ध्यान देना होगा कि धर्म की परम्परा के भीतर मानववादी धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया तथा आधुनिक प्रबुद्ध वर्ग द्वारा धर्म–विरोध साथ–साथ चलते रहे हैं। धर्म के भीतर धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया से आधुनिक प्रबुद्ध वर्ग की अनभिज्ञता के कारण आधुनिक पश्चिमी दर्शन और चिन्तन से प्रेरणा ग्रहण करने वाले धर्मनिरपेक्ष तत्वों और भारतीय धार्मिक सुधारवाद में निष्ठा रखने वाले धर्मनिरपेक्ष तत्वों के बीच दूरी पैदा हो गयी। भरत के लोगों को सेक्यूलरिज्म का संदेश तभी दिया जा सकता है जबकि यह भारतीय उदाहरणों और दृष्टांतों, प्रतीकों और बिम्बों पर आधारित हो और उन्हें सहज रूप में समझ आ जाये। भारतीयों में सेक्यूलरिज्म इसलिए भी विफल रहा कि आधुनिक प्रबुद्ध वर्ग की जड़े भारतीय सांस्कृतिक परम्पराओं से जो वास्तव में धार्मिक परम्पराएं ही हैं, जुड़ी हुई हैं। इस तथ्य की उपेक्षा करना कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परम्पराएं एक–दूसरे से गुंथी हुई है, आधारभूत ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय तथ्यों तथा प्रक्रियाओं से आंख मूंदना है।

इस प्रकार यह मानना सरासर गलत है कि समूचा धार्मिक दृष्टिकोण या धार्मिक दर्शन बौद्धिक दृष्टि से अब पुराना पड़ रहा है और व्यवहार के धरातल पर निरर्थक तथा अधोगामी है। इसके विपरीत धर्म की नयी व्याख्याएं करने और धर्म के भीतर परिवर्तन की ही सम्भावनाओं की खोज करने की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए जिससे धार्मिक सिद्धान्तों और मान्यताओं तथा सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर प्रगतिशील कार्यों के बीच सम्बन्ध स्थापित करने और उन्हें एक–दूसरे के पूरक बनाने के काम को बढ़ावा दिया जा सके। शिक्षित समुदाय अथवा इसके किसी भाग विशेष के लिए यदि धर्म निरर्थक हो गया हो तो इसके यह माने नहीं कि विशाल जन–साधारण ही धर्म से विमुख हो गया है। झूठी धार्मिकता तथा अन्धविश्वास और निहित स्वार्थों तथा धार्मिक पोंगापन्थी के गठजोड़ के खिलाफ संघर्ष को समूची धार्मिक परम्परा के विरूद्ध संघर्ष में बदल देना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि अज्ञान और अविवेक या मूढ़ता की ही निशानी है। कट्टर तथा रूढ़िवादी लोग धर्म के जिस बाहरी या विकृत रूप से अपना उल्लू सीधा करते हैं, वास्तविक धर्म उससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। रविन्द्र नाथ टैगोर का कथन है कि – ''सच्चा धर्म तो मनुष्य को मनुष्य मानने में है।(वही, पृ0249)

हमें इस बात की अनदेखा नहीं करनी चाहिए कि शक्तिशाली निहित स्वार्थ धर्म का इस्तेमाल समाज–सुधारों को विफल बनाने और मेहनतकश गरीबों को संगठित होने से रोकने के लिए करते रहे हैं और वे आज भी यही कर रहे हैं। धर्मान्ध लोगों और निहित स्वार्थी तत्वों के गठबन्धन द्वारा गरीब लोगों तक अपना जहरीला प्रभाव पहुंचाने की चेष्टाओं को विफल करने का सबसे प्रभावशाली उपाय है, जन–विकास तथा समाज–सुधार के कार्यक्रमों को और तेजी से क्रियान्वित करना।

धर्मनिरपेक्षता का लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा इसी कारण आयी है कि विकास तथा समाज–सुधार के काम में जन–सामान्य को सहभागी नहीं बनाया गया और शिक्षा, साक्षरता तथा ज्ञान का संदेश, पीड़ित और शोषित वर्गों के प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंचाया गया। हमारा अतीत और वर्तमान इस बात का साक्षी है कि जब भी आधुनिक शक्तियों ने धार्मिक सिद्धान्तों, संस्थाओं और नेताओं के विरूद्ध प्रत्यक्ष अभियान छेड़ने की नीति अपनायी, धर्मनिरपेक्षता की गति धीमी पड़ गयी और इस आदर्श को बड़ी क्षति पहुंची। इसके विपरीत विकास कार्यों में गति लाकर धार्मिक रूढ़िवाद की ताकतों से परोक्ष रूप से संघर्ष करने की नीति के अच्छे परिणाम सामने आये और इन ताकतों के सामाजिक तथा आर्थिक आधार को जबर्दस्त ठेस लगी। यह बात ध्यान रखने की है कि रूढ़िवादी ताकतें समाज में व्याप्त पिछड़ेपन और असमानता तथा शोषण के कारण पनपती है। पिछड़ापन शोषण तथा असमानता दूर करने की नीति जितनी प्रभावशाली होगी सेक्यूलरिज्म विरोधी तत्वों को विफल करने में उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी।

दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो विकास प्रतिक्रियाएं समानता की बजाय असमानता और न्याय की बजाय शोषण को पुष्ट करती है, वे धार्मिक रूढ़िवाद और धर्मान्धता की इन शक्तियों की सहयोगी है और उन्हें बल देती है। कई विकासशील देशों में जातिभेद पर आधारित विकास की नीतियों का लोगों पर प्रतिकूल असर पड़ा है और इससे सेक्यूलरिज्म को नहीं बल्कि सेक्यूलरिज्म – विरोधी विचार को बल मिला है।

इस प्रकार सेक्यूलरिज्म विकास और सामाजिक न्याय एक दूसरे से अभिन्न हैं। हम यहां पर ऐतिहासिक खोज का कथन उद्धृत कर रहे हैं, जिसमें बताया गया कि इंग्लिस्तान और फ्रांस में क्रान्ति के दिनों में किस प्रकार पुराना धर्म लौट आया। इस धार्मिक पुनरूद्धारवाद की व्याख्या करते हुए प्रसिद्ध अंग्रेजी इतिहासकार एरिक हॉब्सबाम ने लिखा है–

आम लोगों के लिए धर्म के जुझारू कट्टर और पुराने स्वरूप की ओर वापसी मुख्यतः मध्य–वर्गीय उदारतावाद द्वारा पैदा किये अत्याचारी और अमानवीय समाज का सामना करने का एक तरीका था। मार्क्स के शब्दों में (हालांकि ये शब्द केवल उन्होंने ही इस्तेमाल नहीं किये) धर्म हृदयहीन लोगों का हृदय है, जैसे कि यह आत्मरहित स्थितियों की आत्मा है..... धर्म जन–साधारण के लिए अफीम है। सेक्यूलर राज्य की निर्माण और सेक्यूलर मूल्यों की मान्यताओं के प्रसार के लिए भी आज देश को ऐसे ही अडिग नेतृत्व की आवश्यकता है, जिनमें पॉप्यूलिज्म की आंधियों और तूफानों के बीच बुनियादी सिद्धांतों और मूल्यों के जीवन्त प्रतिनिधि बनकर खड़े रहने का साहस हो।

REFERENCES

शर्मा, डॉ0 आर0ए0,(2008) *शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक मूल आधार,* मेरठ, आर0 लाल बुक डिपो, पृ0–509

कोठारी, रजनी (1973): *भारत में राजनीति* (अनुवाद) ओरियण्ट लॉग मैन्स, पृ0–227

त्रिपाठी, चन्द्रभान त्रिपाठी व अन्य (2001) *समकालीन भारतीय राजनीति,* वाराणसी, आचार्य वीरबल सिंह सामाजिक विज्ञान संस्थान, वाराणसी, पृ0–14

सिंह, डॉ0 अजय एवं डॉ0 विजय प्रताप मल्ल, (2013) *भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं भारत का संविधान* आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा पृ0–47

दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, *संस्कृति के चार अध्याय,* पृ0–638

दिनमान, 16–22 दिसम्बर, 1979 पृ0–91

हाना आर्न्ड्ट : ऑन रिवोल्यूशन, फेबर एण्ड फेबर, 14 रसेल स्क्वायर, लंदन, पृ0–201

भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा द्वितीय भाग के अनुच्छेद 5, तृतीय भाग के अनुच्छेद 15, 16, 21, 25, 28, 30 में धर्मनिरपेक्ष सिद्धान्तों का समाविष्ट किया गया है। –एम0वी0 पायली, ''भारतीय संविधान– एक परिचय'' विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा0लि0 नई दिल्ली 1997

उत्तर प्रदेश साहित्य एवं संस्कृति मासिक पत्रिका, अक्टूबर 1998, पृ0–7

वेवर, मैक्स (1948) *एसेज इन सोसियालजी,* अनुवाद गर्थ एण्ड राइट मिल्स, लन्दन, 1948, पृ0–51, 154–155

जैन, डॉ0 पुखराज जैन एवं डॉ0 वी0एल0 फाड़िया, (1998) *भारतीय शासन एवं राजनीति,* आगरा, साहित्य भवन पब्लिकेशन, पृ0–45

गर्ग, डॉ0 सुषमा (2008) *भारतीय राजनीतिक चिन्तन,* आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन, पृ0–229